

राजस्थान सरकार  
राजस्व § गृह-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 6§4§राज-6/2000/ 18


जयपुर, दिनांक:- 3/6/2000

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956 § की धारा 260 की उपधारा §1§ के खण्ड §ख§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि भू-राजस्व अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कतव्यों उ एवं शक्तियों का प्रयोग तहसील पंचहाड एवं मनोहरखाना जिला हालावाड के तहसीलदारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा ।

यं अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

  
§ शिव कुमार शर्मा §  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/राजस्व राज्य मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव ।
2. संबंधित संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय सुदूरपालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 3-6-2000 में प्रकाशनार्थ ।
6. " राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. उप निबन्धक, § त वित्त एवं केडा § राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

  
शासन उप सचिव

3/6/2000

मनोज/